sanctioned strength of 60 in the Allahabad High Court. Of the permanent vacancies, five arose in each of the years 1990 and 1989, and one in 1988. Five posts of Additional Judges have been vacant for a longer period. The process of consultation with the Constitutional authorities for filling up these vacancies is on.

(b) As on 30-6-1989, there were 2,67,060; 1,68,755 and 30,868 cases pending for over 3 years, 5 years and 10 years respectively.

Distribution of Re-rollable Steel Material

*239. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether huge quantities of re-rollable steel material is being distributed under the decision of Director (Commercial), SAIL to many steel re-rolling units which do not posses Carry on Business (COB) Licence or Industrial Licence and without verifying the number of employees employed by those units since July, 1988, thus violating the relevant orders;

(b) whether the Regional Development Commissioner, Iron and Steel, Secunderabad raised objection to above stated irregular decision of the Director (Commercial), SAIL; and

(c) if so, what action Government propose to take in the matter and to prevent recurrence of such cases in future?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) Government have no evidence to held that supplies to re-rolling units are being made by SAIL contrary to relevant regulations.

(b) The Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Hyderabad, had raised doubts about the supplies of re-rollables by SAIL and these were examined and settled by Govt.

(c) It is proposed to issue more explicit instructions to clarify the position further.

राजस्थान से स्वीकृति हेतु प्राप्त लंबित सिंचाई परियोजनाएं

*240. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय से संबंधित राजस्थान से प्राप्त अनेक परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कब से लंबित हैं और उन्हें अब तक स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ;

(ग) राजस्थान में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इन में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस परियोजनाएं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है और इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनु भाई कोटाडिया) : (क) और (ख) तीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं नामशः नोहर, सिद्धमुख और जेसमांड और दो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं नामशः गरारदा और गम्भीरी आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाएं नवम्बर, 1988 से अगस्त, 1989 की अवधि के दौरान केन्द्र में निवेश स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। परियोजनओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की अनुपालना पर निर्भर करती है।

(ग) मार्च, 1990 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II को 125.7 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। जबकि मुख्य नहर पूरी हो गई है, शाखा नहरों और वितरण प्रणाली

पर प्रति क्रमशः 36% और 33.5% सूचित की गई है।

(घ) राज्य सरकार ने चरण-II की शेष लागत 1222 करोड़ रुपए आंकी है और परियोजना को दसवीं योजना तक ले जाने की संभावना है।

Review of Narmada Project

@946. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have received any request to review the Narmada Project; and

(b) if so, what is Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) Yes, Sir, representations to this effect from some non-Government organisations have been received.

(b) The matter is proposed to be discussed with the Chief Ministers of the States involved in the development use of Narmada Waters.

खाद्यान्नों का निर्यात

@@947. **श्री रत्नाकर पाण्डेय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यानों का निर्यात करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान किन-किन देशों को कितनी कितनी-मात्रा में खाद्यानों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिस श्रीधरन) : (क) अनाज के निर्यात की अनुमति उत्पादन और खपत के स्वरूप को ध्यान में रखकर तथा सम्भावित निर्यात योग्य बेशी का जायजा लेने के बाद की जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान निर्यात की मात्रा और मूल्य निर्यातकों द्वारा निर्यात संविदाओं के संबंध में सफल समझौता वार्ताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण पर निर्भर करेगा। मुख्य बाजार हैं : मध्य-पूर्व, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन।

नई दिल्ली स्थित अकबर होटल का पुनः खोला जाना

948. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अकबर होटल के पुनः खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) दिल्ली में होटल आवास में वृद्धि करने के लिए अकबर होटल को फिर से चालू करने के प्रश्न पर विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ख) अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन के दिनांक 26.12.1989 के अभ्यावेदन के साथ श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य का दिनांक 3.1.1990 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया है कि अकबर होटल को पुनः खोलने के बारे में नीतिगत निर्णय लिया जाए।

@Previously Unstarred Question 378 transferred from the 8th May, 1990.

@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 557, 11 मई, 1990 से स्थानान्तरित।